02/06/25 पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट ने प्रार्थना पत्र बाबत पत्रावली आज तलब की जाकर सुनवाई किये जाने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल वाद दिनांक 30/04/2025 को खारिज हो चुका है। जिसके कारण उक्त प्रार्थना पत्र स्वतः निरस्त हो चुका है। अतः मूल वाद के निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर निवेदन है कि पत्रावली पेशी दिनांक 10/07/2025 से आज पेशी में ली जाकर पत्रावली सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता रेस्पो. ने प्रार्थना पत्र के साथ प्रकरण से संबंधित अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वाद के निर्णय दिनांक 30/04/25 की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त फोटोप्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण से संबंधित अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल वाद का निस्तारण हो चुका है। इस प्रकार मूल वाद का निस्तारण हो जाने के फलस्वरूप उक्त अपील का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः पत्रावली सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। राजस्व अपील अधिकारी	